राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.2(32)नविवि/बीकानेर/2017 जयपुर, दिनांकः 28 FEB 2018

आदेश

राज्य सरकार द्वारा पर्यटन इकाई नीति–2015 के तहत जारी किये गये आदेश दिनांक 06.06.2015 में पर्यटन इकाई हेतु संपरिवर्तित भूमि की लीज राशि की गणना संस्थानिक प्रयोनजार्थ निर्धारित आरक्षित दर के आधार पर किये जाने का प्रावधान है, जबकि राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित प्रीमियम दरों में पर्यटन इकाई हेतु पृथक से दरें निर्धारित है जो कि संस्थानिक प्रयोजनार्थ निर्धारित दरों से कम है। इस प्रकार पर्यटन इकाई नीति के तहत पर्यटन इकाई स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं में लीज राशि अधिक देय होगी जो कि नीति के लक्ष्य के अनुरूप प्रतीत नहीं होती है। अतः विभागीय आदेश दिनांक 06.06.2015 के बिन्दु सं. 10 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः–

10.(i) पर्यटन इकाई हेतु आवंटित भूमि की लीज राशि संस्थानिक प्रयोजनार्थ निर्धारित आरक्षित दर के आधार पर ली जायेगी।

10.(ii) पर्यटन इकाई हेतु सम्परिवर्तित भूमि की लीज राशि की गणना कृषि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ पर्यटन इकाई हेतु निर्धारित प्रीमियम दर के आधार पर की जायेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जगजीत सिंह मोंगा)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग।
4. सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
5. सचिव, नगर सुधार न्यास, (समस्त).....।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. सहलाकार (टी.पी.), नगरीय विकास विभाग।
9. सहलाकार (विधि), नगरीय विकास विभाग।
10. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराया जावें।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय